

## हरियाणा में नज़ी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने कथिा रद्द

### चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2022 को नज़ी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दथिा ।

### प्रमुख बढि

- गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वशिष अनुमत्तियाचकिा दाखलि की थी । सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि एक महीने के अंदर इस मामले में नरिणय लेकर राज्य सरकार को नरिदेश दथिा जाए और इस दौरान रोज़गार दाताओं के खलिाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए ।
- वदिति है कि 15 जनवरी, 2021 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधनियम, 2020 राज्य में लागू कथिा था । यह कानून नौकरी चाहने वालों को नज़ी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जो 'हरियाणा राज्य के नवासी' हैं ।
- इसके बाद 3 फरवरी, 2022 को हाईकोर्ट ने इस नरिणय पर रोक लगा दी थी । फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि उनके यहाँ कर्मचारियों का चयन योग्यता के अनुसार कथिा जाता है । हाईकोर्ट से कहा गया कि अगर कंपनियों अपने मनपसंद कर्मचारी नहीं चुन पाएंगी तो उनके कारोबार पर असर पड़ेगा ।
- हाईकोर्ट में याचकिाकर्त्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि अगर सरकार का यह फैसला लागू होता है तो रोज़गार को लेकर अराजकता फैल जाएगी और योग्य लोग वंचति रह जाएंगे । पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी । इसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी ।
- इस कानून के तहत नज़ी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्ट और साझेदारी फर्म भी शामिल हैं और यह उन नौकरियों पर भी लागू होता है, जो अधिकतम सकल मासकि वेतन या 30,000 रुपए तक की मज़दूरी प्रदान करती हैं । केंद्र या राज्य सरकारें या इन सरकारों के स्वामत्तिव वाला कोई भी संगठन अधनियम के दायरे से बाहर है ।